राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांकः प. 5(1)मं.मं./2014 जयपुर, दिनांकः 18/9/18

## आज्ञा

मन्दिर माफी से संबंधित प्रकरणों के बारे में राज्य सरकार के स्तर पर कार्यवाही किए जाने के संबंध में एतद्द्वारा निम्नानुसार मंत्री स्तरीय स्थायी समिति का गठन किया जाता हैः–

1. श्री श्रीचंद कृपलानी, मंत्री, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग —अध्यक्ष
2. श्री अमराराम, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्व, उपनिवेशन एवं सैनिक कल्याण विभाग —सदस्य
3. श्री राजकुमार रिणवा, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), देवस्थान विभाग —सदस्य

मंदिर माफी की भूमि के समुचित उपयोग के लिए जिला कलेक्टर संबंधित राजस्व अधिकारी/प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मंदिर माफी की भूमियों के लिए गठित तहसील स्तरीय मंदिर प्रबंध समिति की रिपोर्ट लेकर, प्रकरण समुचित सुझाव के साथ उक्त राज्य स्तरीय समिति को निराकरण हेतु प्रेषित करेंगे। तद्नुरूप प्रकरण एवं इस संबंध में दिए गए सुझाव पर गुणावगुण के आधार पर मंदिर माफी की भूमि से संबंधित प्राप्त मुद्दों के बारे में उक्त समिति विचार कर, निर्णय करेगी।

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग, देवस्थान विभाग होगा तथा इसके सदस्य सचिव, शासन सचिव, देवस्थान विभाग होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(शिखर अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव, राजस्व विभाग।
3. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
4. शासन सचिव, देवस्थान विभाग।
5. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर।
6. आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर।
7. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
8. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, संबंधित मंत्रिगण।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय।
10. रक्षित पत्रावली।

प्रमुख शासन सचिव